


10/7/24

गर्भक पत्र प्रलुट होने पर ^{पत्रा.पं.पं.पं.} पत्र
क्र. धारा. 152 CPC डिफ्री के संशोधन
द्वारा प्रलुट किया गया मूल कमिश्नर
कमिश्नरवार एडुमाकर में जमा होने
के कारण कॉपीकरण पत्रांक 511 डिफ्री
28/6/24 को पत्र जारी कर रिकॉर्ड
बलब किया गया। सीमा प्रकटी अधिकारी
द्वारा कमिश्नरवार एडुमाकर के
पत्रांक 427 डिफ्री  28/6/24 से
मूल कमिश्नरवार प्राप्त हुआ। आज

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए

पश्चावली पेशी में ली गई प्रकरण के
पश्चावली का अवलोकन किया गया
उत्तरा पत्र पर गहन मन्त्र किया
गया। पश्चावली में निर्णय दिनांक 30/12/13
के चक्र 9 PBN (बी) के त्वाता संख्या
61/67 के पं. नं. 44/304 की 3.162
ई. पं. नं. 46/307 की 4.491 ई.
कुल 7.653 ई. भूमि में वास्तविक
स्वातंत्र्य काश्तकार घोषित किया गया
ही जिसमें बंदिब. दर्ज नहीं होने
पर वास्तविक के हिस्सा वाला दर्ज
हो गया ही अधीनगत उत्तरा पत्र
स्वीकार योग्य ही उत्तरा पत्र 152 CPC
स्वीकार किया जाता ही पश्चावली में
निर्णय दिनांक 30/12/13 के पृष्ठ संख्या
3 के पन्ने संख्या 10 में स्वातंत्र्य
के स्थान पर बंदिब स्वातंत्र्य किया
जाता ही लाल स्याही/से नोट अंकित
किया जावे। इसी प्रकार डिफ्री में पन्ने
संख्या 5 में बंदिब स्वातंत्र्य के संबंध
में नोट अंकित किया जावे। पश्चावली
के अन्य कार्यवाही उप चर्ची पश्चावली
कोसला होकर डाकिल जमल हो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा